19. बेस्ट फाइव

19.1 मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र. के आदेश क्रमांक एफ–44–19/20–2 भोपाल, दिनांक 26.06.2016 के अनुसार प्रदेश में शिक्षण सत्र 2016–17 से कक्षा 9वीं एवं 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों की गणना हेतु बेस्ट फाईव पद्धति अपनाई जाये, जिसके अर्न्तगत जिन 06 विषयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा ली जाती है उन में से जिन 05 विषयों में विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक हो, परीक्षा की गणना हेतु उन 05 विषयों के अंकों को ही लिया जाये।

19.2 यदि छात्र दो विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र को दो विषयों में पूरक की पात्रता होगी और दोनों विषयों में या किसी एक विषय में हाईस्कूल पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

19.3 यदि छात्र तीन विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।

19.4 06 विषयों में सम्मिलित होकर यदि छात्र का परीक्षा परिणाम 05 विषयों में उत्तीर्ण और एक विषय में अनुत्तीर्ण रहने पर "बेस्ट फाइव" के तहत् उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो ऐसे छात्र आगामी वर्ष में श्रेणी सुधार हेतु नियमित/स्वाध्यायी छात्र के रूप में हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।

19.5 "बेस्ट फाइव" पद्धति के तहत् यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

("बेस्ट फाइव" पद्धति के दो या अधिक विषयों में समान अंक होने पर "बेस्ट फाइव" पद्धति के तहत परीक्षा परिणाम में सम्मिलित विषयों का क्रम भाषा समूह में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा एवं कोर विषयों गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान रहेंगा। भाषा ग्रुप में से एक और कोर विषयों में से एक विषय में समान अंक प्राप्त होने पर कोर विषय को परीक्षा परिणाम में सम्मिलित कर "बेस्ट फाइव" पद्धति के तहत परीक्षा परिणाम एवं श्रेणी का निर्धारण पांच विषयों के आधार किया जावेगा। किसी विषय में अनुपस्थित छात्र का परीक्षा परिणाम उस विषय में अनुत्तीर्ण मानकर "बेस्ट फाइव" विषयों के अंकों के आधार पर घोषित किया जावेगा।)

20. परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन

परीक्षा परिणाम घोषणा के उपरान्त संशोधन के प्रकरणों की संख्या न्यूनतम हो इसे दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वी के Online परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने के उपरान्त निम्न व्यवस्थाओं के आधार पर दिनांक 01.09.2019 से 15.12.2019 तक संबंधित संस्था प्राचार्य Online त्रुटि सुधार/संशोधन करना सुनिश्चित करेंगे :–

1– वर्ष 2019 के कक्षा 9वीं के नामांकन के डाटा में स्पेलिंग संबंधी त्रुटियों के सुधार, जन्मतिथि संशोधन, फोटो संशोधन किये जा सकेंगे।

2– किसी भी नाम के प्रथम केरेक्टर के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

3– छात्र, पिता एवं माता के नाम में स्पेलिंग त्रुटियो, माध्यम एवं विषय में सुधार किया जा सकेगा।

4– हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2020 के परीक्षा आवेदन गत वर्ष कक्षा 9वीं के नामांकन डाटा पर आधारित हैं। कक्षा 9वीं में A18 सीरिज के नामांकन डाटा में स्पेलिंग संबंधी त्रुटियों के सुधार किये जा सकेंगे।

5– परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय जिन छात्रों ने त्रुटिवश पूर्ण परीक्षा शुल्क की छूट त्रुटिवश गलत (जैसे वर्ग Category – एस.सी./एस.टी., अंध, मूकबधिर) को चयन किया है, ऐसे परीक्षार्थी भी त्रुटि सुधार करते हुए शुल्क के अंतर की राशि कियोस्क पर भुगतान कर सकेंगे।

6 – कक्षा 12वीं में केवल फोटो, माध्यम एवं विषय/संकाय संशोधन की अनुमति रहेगी।

7– किसी भी कक्षा का परीक्षा फार्म भरने के उपरान्त विषय/माध्यम/संकाय परिवर्तन करने की सुविधा दिनांक 12 अगस्त 2019 तक निःशुल्क रहेगी तथा 01 सितम्बर 2019 से निर्धारित शुल्क देना अनिवार्य होगा।

8– किसी भी आवेदन पत्र में छात्र, पिता, माता का नाम एवं जन्मतिथि में से किसी भी 02 श्रेणी में संशोधन की अनुमति होगी।

9– नामांकन फार्म/ग्राहयता फार्म/परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन हेतु केवल Online सुविधा उपलब्ध रहेगी, Offline नही। अतः कार्यालय में Offlinc संशोधन हेतु कोई भी आवेदन मान्य नही होगा।

10– समस्त संस्था प्राचार्य/अग्रेषण संस्था /छात्र एवं अभिभावक यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा भरे गये परीक्षा आवेदन पत्र में माध्यम, विषय एवं संकाय की प्रविष्टि सही है, अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरान्त सीधे परीक्षा केन्द्र पर संशोधन हेतु आवेदन करने पर रूपये 2000/– अर्थदण्ड का चालान आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियाँ

1. औधलिया, 2. बागरी, बागडी, 3. बहना, बहाना 4. बलाही, बलाई 5. बाछडा 6. बराहर, बसोड 7 बरगुंडा 8. बसोर बुरूड, बंसोर बंसोरी, बांसफोर,बसार 9. बेडिया 10. बेलदार, सुन्कर 11. भंगी, मेहतर, बाल्मीक, लालबेगी, धरकर 12. भानुमती 13. चडार 14. चमार, चमारी, बैरवा, भांवी, जाटव, मोची, रैंगर, नौना, रोहीदास, रामनामा, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, अहिरवार, चमारमांगन, रैदास 15. चिडार 16. चिकवा, चिकवी 17. चितार 18. दहायत, दहैत,दहात, 19.देवार 20. धानुक 21. ढेड, ढेर 22. धोबी (भोपाल,रायसेन,सीहोर जिलों में) 23. डोहोर 24. डोम, डुमार, डोमर, डोरीस 25. गांडा, गांडी 26. घासी, घसिया 27. होलिया 28. कंजर 29. कतिया, पथरिया 30. खटीक 31. कोली, कोरी 32. कोतवाल, (भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन तथा विदिशा जिला में) 33. खंगार, कनेरा, मिरधा 34. कुचबंधिया 35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी ओर टीकमगढ जिलों में) 36. महार, मेहरा, मेहर 37. मांग, मांग गरोडी,मांग गरूडी, दनखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गरूडी, राधे मांग 38. मेघवाल 39. मोधिया 40. मुसखान 41. नट, काल बेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबूतर 42. पारधी, (भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन तथा विदिशा जिलो में) 43. पासी 44. रूज्झर 45.सांसी, सांसिया 46.सिलावट 47. झमराल।

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियॉ

1.अगरिया 2.आंध 3.बैगा 4.मैना 5.भारिया,भूमिया, भुंइहर, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो 6. भतरा 7. भील, भिलाला, बारेला, पटेलिया 8. भील मीना 9. भुन्जिया 11. बिअर, बियार 11. बिन्झवार 12. बिरहुल, बिरहोर 13. डामोर, डामरिया 14.धनवार 15. गडावा ,गडवा 16.गोंड, रख, अर्राख, अगरिया, असुर, बडी माडिया, बडा माडिया, भटोला, भिम्मा, भूता, कोयला भूता, कोलिया भूती, भार, बायसन हार्न माडिया, छोटा मांडिया, दंडामी माडिया घुरू, धुर्वा,धोवा, धूलिया, दोरला, गायको, गत्ता, गत्ती, गैटा, गौंड, गोवारी, हिलमाडिया, कान्द्रा, कलंगा, खटोला, काईतार, कोया, खिरवार, खिरवारा,कुचा माडिया,कुचाकीमाडिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोधिया, मोगिया, मोध्या,मुडिया,मुरिया नागारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझरी, झरेका, थाटिया, थोट्या, बडे माडिया दरोई 17. हल्वा, हल्वी 18. कुमार 19. कारकू 20. कबर, कंवरकौर चेरवा, राठिया, तंवर,क्षत्री 21.कौर (भोपाल,रायसेन एवं सीहोर जिलों में) 22.खैरबार, कोंदर 23. खारिया 24.कोंध, खोंड, कांध 25. कोल 26. कोलम 27.कोरक, बोंपची, मोबसी, निहाल, नाहुल, बोंधी, बेडिया 28.कोरबा, कोडकू 29.मांझी 30 मझवार 31. मवासी 32. मीना (विदिशा जिले की सिरोंज सब डिवीजन में) 33. मुण्डा 34.नागेसिया, नगासिया 35. उरांव, धनकर,धनगढ 36. पनिका (छतरपुर,दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी ओर टीकमगढ जिलों में) 37.पाव 38. परधान,पवारी,संरोती 39. पारधी (भोपाल, रायसेन ओर सीहोर जिलो में) 40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चीता पारधी, लांगोली पारधी, फांस पारधी, शिकारी टाकनकार, टाकिया (छिन्दवाडा, मण्डला, सिवनी जिलो में) बालाघाट जिले की बैहर तहसील में, बैतूल जिले की बैतूल, शाहपुर और भैंसदेही तहसीलों में जबलपुर जिले की मुडवारा विजराघवगढ, पाटन ओर सीहोरा तहसीलों में, होशंगाबाद जिले की, होशंगाबाद, इटारसी, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया और बनखेंडी तहसीलों में तथा नरसिंहपुर जिले में खण्डवा जिले की हरसूद तहसील में), 41. परजा 42. सहरिया, सहारिया, सेहरिया, सेरिया, सोसिया, सोर 43. साओंता, सोंता 44.सौर 45 सबर, सबरा 46.सोंर।